

परियोजना का नाम:- तराई केन्द्रीय वन प्रभाग में केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980 से पूर्व से निर्मित गदरपुर-दिनेशपुर-मदकोटा हल्द्वानी मोटरमार्ग (राज्य मार्ग सं0-05) को मदकोटा से हल्द्वानी तक दो लेन पेव्ड शोल्डर सहित चौड़ीकरण व सुदृढीकरण के कार्य हेतु (किमी 17 से किमी 38 तक) वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव।

**SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF
(for the forest land to be diverted under FCA)**

5.1 A proposal has been received by this office from अधिशारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी नैनीताल for diversion under FCA-1980) of 16.69 ha. of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980 से पूर्व से निर्मित गदरपुर-दिनेशपुर-मदकोटा हल्द्वानी मोटरमार्ग (राज्य मार्ग सं0-05) को मदकोटा से हल्द्वानी तक दो लेन पेव्ड शोल्डर सहित चौड़ीकरण व सुदृढीकरण के कार्य (किमी 17 से किमी 38 तक). The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated -13-07-2022

5.2 On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a **Reserve Forest** measuring 16.69ha.

5.3 The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project.

5.4 Whether any rare / endangered / unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of- **NIL**

5.5 Whether any protected archeological / heritage site / defense establishment or any other important monuments is located in the area, if, so the details there of with NOC from competent authority, if required- **NIL**

a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.

b) It has been found that the user agency has violated (Conservation), Act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of II and book of forest (Conservation) Act, 1980 attached.
Attached as Annexure -1

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.
(It is recommended that the proposal be accepted in public interest)

Place:- Haldwani.....

Date:- 13/7/2022.....

(Signature)

Name. D. Abhilash **प्रभागीय वनाधिकारी**

Designation. D.F.O.T. **तराई केन्द्रीय वन प्रभाग**

Office Seal


N.B. x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.
xx out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2 2000 FC dated 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less than 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more the 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.

संलग्नक-1

दिनांक 19.05.2022 को प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रुद्रपुर द्वारा भाकड़ा रेंज के निरीक्षण के दौरान भाकड़ा रेंज अन्तर्गत आनन्दपुर बीट, दक्षिणी लामाचौड बीट एवं पूर्वी पीपलपड़ाव बीट के अन्तर्गत गदरपुर-दिनेशपुर-मदकोटा-हल्द्वानी मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं0 05) के किनारे आरक्षित वन भूमि पर सड़क चौड़ीकरण हेतु मिटटी खुदान इत्यादि कार्य मौके पर पाया गया। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक 2218/20-2 दिनांक 19.05.2022 से जारी निरीक्षण रिपोर्टों में सम्बन्धित कार्यों को प्रकरण में भारतीय वन अधिनियम 1927 यथा संशोधित 2001 की सुसंगत धाराओं में नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त के क्रम में तराई केन्द्रीय वन प्रभाग अन्तर्गत भाकड़ा रेंज में वन अपराध सं0 03/भाकड़ा/2022-23, 04/भाकड़ा/2022-23, 05/भाकड़ा/2022-23 तथा टाण्डा रेंज में वन अपराध सं0 06/टाण्डा/2022-23, 07/टाण्डा/2022-23 इजराय किया गया। प्रकरण में उक्त वन अपराधों की जांच हेतु प्रभागीय वनाधिकारी के कार्यालय के पत्रांक 2517 शि0/29-3 दिनांक 20.06.2022 द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त किया गया।

जांच अधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 25.06.2022 द्वारा प्रेषित अन्तरिम जांच रिपोर्ट से अवगत कराया गया है कि आरक्षित वन भूमि पर सड़क चौड़ीकरण हेतु मिटटी खुदान व भरण कार्य शुरू किया गया था जिसे मौके पर वन कर्मियों द्वारा रुकवाया गया। सड़क के किनारे वृक्षों का अंधेरे घातन नहीं पाया गया है।


प्रभागीय वनाधिकारी
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग
रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)